



लिलापुर विश्वविद्यालय, लिलापुर (उ.ग.)

गांधी चौक के पास, लिलापुर, लिला-लिलापुर (उ.ग.) 495001

फोन 07752-220007, 220031, 220032, 220033, 220037, 220014, फैस 07752-220031, 260294

ई-मेल lalitpur-university2012@gmail.com Website : www.lalitpur-university.ac.in

बमाक/.....1187/स्था.प्रा./2015
प्रभि,

लिलापुर, दिनांक 08/07/2015
**Applied for
2015-16 & 2016-17**

प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
एवं
विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रिलिप विभाग
लिलापुर विश्वविद्यालय,
लिलापुर (उ.ग.)

विषय :- वैशिष्टिक संस्थाओं के लिये सत्र 2015-16 हेतु प्रदेश मार्गदर्शिका सिलाइ एवं अकादमिक कैलेण्डर।

संदर्भ :- वैशिष्टिक अधिकारी उच्च शिक्षा, नगा राष्ट्रपुर का पब नं./250/02/आठवीं/समन्वय/15, विनोक 07-07-2015 एवं प्रक. क्र./252/95/आठवीं/समन्वय/15 दिनांक 07-07-2015।

— ०० —

उपरोक्त संदर्भित एवं या अवलोकन करें। जिसके माध्यम से उ.ग.जारी उच्च विद्या विभाग द्वारा उत्तीर्णगढ़ राज्य के वैशिष्टिक संस्थाओं के लिये सत्र 2015-16 हेतु जारी प्रदेश मार्गदर्शिका सिलाइ एवं अकादमिक कैलेण्डर की प्रति संलग्न कर भेजी गयी है।

अतः उक्त प्रदेश मार्गदर्शिका सिलाइ के प्रबन्धने एवं अकादमिक कैलेण्डर 2015-16 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा अपने महाविद्यालयों में कडाई से पातन सुनिश्चित करें।


संलग्न :- संदर्भित पत्रों की छापाप्रति।

आदेशानुसार

कुलसंघिय



PRINCIPAL
Government P.G. College, Chhatriwali P.G.
College, Khurda, Dist. Khurda (O.G.)



जारी

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 2636 / 2282 / 2014 / 38-2
प्रति.

रायपुर, दिनांक ६५ / 07 / 2015

✓ आगुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छोगो)

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने वाले।

— ०० —

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2/ निर्देशानुसार सूचित है कि प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

६५।२।८
(श्रीमती दुर्गा देवांगन)

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक / 07 / 2015

पृष्ठ / 2282 / 2014 / 38-2
प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
की ओर सूचनार्थ।
- आदेश फॉल्डर।

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

PRINCIPAL
Government Mahatma Gandhi P.G.
College, Kharsia, D.G.C.-Rajkot (C.G.)



12. आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :—
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :—
- अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से छोदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
- (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
- 12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उच्चाधिकार (वटींकल) रूप से अनुदारित किया जाएगा।
- (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, मूलपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिक आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उच्चाधिकार आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र—पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्ताकांकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरा जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत $1/2$ से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, $1/2$ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान उपलब्ध होगा।

वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम :-

- वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन
 2. वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन

— 18.02.2016 से 28.02.2016
 — 01.03.2016 से 30.04.2016

(6)

अध्यापन कार्य दिवस (सामान्य अवकाश छोड़कर) :-

2015, जुलाई	:	26
2015, अगस्त	:	24
2015, सितम्बर	:	23
2015, अक्टूबर	:	22
2015, नवम्बर	:	19
2015, दिसम्बर	:	21
2016, जनवरी	:	25
2016, फरवरी	:	23

शिक्षक के कर्तव्य :-

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग में 07 घंटे रुकना आवश्यक होगा।

- प्रातः कालीन पाली के लिए : प्रातः 7:30 से 2:30 अपराह्न
- द्वितीय कालीन पाली के लिए : प्रातः 10:30 से 5:30 अपराह्न
- 7 घंटे का ब्रेकअप : 6 घंटे अध्ययन-अध्यापन कार्य (प्रायोगिक, दृष्टीरियल, रेमेडियल, शोध-कार्य, लाइब्रेरी वर्क सम्बिलित)
 1 घंटा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्वेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, पाठ्यक्रम पुनरावलोकन में प्रत्येक शिक्षक का एक घटा अतिरिक्त कक्षाएं लेकर विद्यार्थियों का शका रामाधान करेंगे)
- विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में दिए कार्य का निष्पादन करेंगे।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :-

- प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपरिधित अनिवार्य है।
- कुल 7 अंतिरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक।
- एन.सी.टी./एन.एस.एस कैम्प/खेलकूद/राज्य रत्नीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा।
- उपरिधित की प्रथम गणना 31.10.2015 तक ही जावेगी।
- कम उपरिधित याले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जावेगी।
- उपरिधित की द्वितीय गणना 15.02.2016 तक की जावेगी।
- विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे।

PRINCIPAL
 Government Mahatma Gandhiji P.G.
 College, D...
 Agra, U.P., India
 Date: 10/01/2016